(210)

TEN RUPEES FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर

पुनरीक्षण अपील क्र /2001–02

कमलसिंह पिता रूपसिंह सेंधव उम्र 28 वर्ष धंधा कृषि निवासी ग्राम तालोद तह. सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.

.....अपीलांट/प्रार्थी

विरूद्ध

म.प्र.शासन द्वारा पटवारी ग्राम तालोद हल्का नं. 9 तह. सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.

.....रेस्पांडेंट/प्रतिप्रार्थी

पुनरीक्षण अपील स्मृति पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता के अधीन

अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के न्यायालयीन अपील क्र. 181/2001–2002 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 31/5/2002 के विरूद्ध।

माननीय महोदय,

अपीलांट की ओर से पुनरीक्षण अपील स्मृति पत्र अवधि के अंदर सादर प्रस्तुत है :–

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि रेस्पांडेट द्वारा तहसील न्यायालय सोनकच्छ के समक्ष अपीलांट के विरूद्ध धारा 248 म.प्र.भु.रा. संहिता के अधीन एक असत्य प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि शासकीय सर्वे नं. 1479 रकबा 0.12 आरे में से 12×12=144 वर्ग फीट अतः 0.01 पर अपीलांट का अवैध आधिपत्य बिम कॉलम भरकर बागड कर अतिक्रमण करने का असत्य प्रतिवेदन मय पंचनामें के पेश किय। तहसीलदार महोदय ने रेस्पांडेट के प्रतिवेदन पर से अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण क्र. 27अ/68/2000–01 पर दर्ज किया। जिसमें अपीलांट को धारा 248 म.प्र.भू.रा.संहिता के अधीन असत्य रूप से सूचना पत्र प्रदान किया। जिसका अपीलांट ने लिखित सही उत्तर पेश किया तथा अतिक्रमण करने से इंकार किया। तथा निर्माणाधीन स्थल अपीलांट की स्वत्त्व की भूमि होना बताया किन्तु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय ने अवैध रूप से दिनांक 12/1/2001

क्रमशः

R 2180-IV/2002

श्री आर.के. व्यास अभि. द्वारा आज दि. 7/9/02 को प्रस्तुत।

राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर 7 SEP 2002

7.9.02 प्रभारी, कार्यालय महाधिवक्ता

7.9.2002

210

134

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी/2180/चार/2002

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 21/01/2015 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	